लोगों द्वारा राशन दुकान की देखरेख

पंचायत एवं विकास श्रृंखला

समावेश का प्रकाशन

12111
CPHE-CL

समावेश

समावेश एक स्वैच्छिक संस्था है जो स्वशासन एवं जनविकास के क्षेत्र में काम करती है। समावेश की ऐसे तरीके विकसित करने में दिलचस्पी है जिनसे स्वशासन और जन विकास से जुड़े नवाचार को बड़े पैमाने पर फैलाया जा सके।

समावेश ने जनभागीदारी पर आधारित विकास एवं शिक्षा का मॉडल विकसित करने की पहल की है। इस सिलसिले में विकास में पंचायत की भूमिका को आंकते हुए संस्था प्रशिक्षण की विषयवस्तु एवं तरीके विकसित कर रही है।

इसके अलावा समावेश संस्था सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के लिए स्रोत दल की भूमिका भी निभाती है।

स्वशासन के क्षेत्र में काम करने के लिए समावेश को सहयोग, यू.एन.डी.पी. दिल्ली, सर रतन टाटा ट्रस्ट, मुम्बई और अन्य स्रोतों से मिल रहा है।

इस किताब का प्रकाशन इसी काम की एक कड़ी है।

प्रथम संस्करण अप्रैल 2006, 500 प्रति
पुनर्मुद्रण नवम्बर 2007, 3000 प्रति

लेखन एवं संपादन
राजेश भदौरिया, राजेन्द्र बंधु
वी. एन. त्रिपाठी

मूल्य – 20/-

कवर चित्र – संतोष श्रीवास्तव

समावेश
ई–1/138 अरे[illegible]
भोपाल (म.प्र.) [illegible]

इस किताब की किसी भी साम[illegible] उपयो[illegible] समावेश [illegible]स्था स[illegible]
अनुमति प्राप्त क[illegible] किया [illegible]

राशन दुकान को समझने.
और देखरेख करने के लिए सरल किताब

सरपंच, पंच एवं गांव के लोगों के लिए

यह किताब यू. एन. डी. पी. नई दिल्ली के सहयोग से सखी पहल कार्यक्रम के लिए प्रकाशित की गयी है। राशन की दुकान से संबंधित मुख्य जानकारी को सरल करके प्रस्तुत किया गया है, किसी भी तरह की दुविधा होने पर म. प्र. सरकार द्वारा बनाये गये नियम मान्य होंगे।

अपनी बात

गांव के विकास में पंचायत राज संस्थाओं की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। नये पंचायती राज के आने से गांव के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं कि शायद अब बदलाव आयेंगे। पर जब तक पंचायत के सदस्य और गांव के आम लोग अपनी जिम्मेदारी, अधिकार एवं पंचायत में काम करने के तरीकों को नहीं जानेंगे, वे गांव का सही विकास नहीं कर सकेंगे। गांव के विकास से जुड़े कई तरह के काम करने होते हैं, इन कामों को ठीक तरह से करने के लिए गांव की सब तरह के कामों एवं उनके करने की तरीकों की योजना बनना चाहिए। स्थानीय सेवाओं एवं सुविधाओं को बेहतर बनाने एवं उनकों ठीक ढंग से संचालित करने में पंचायतों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है और अब यह व्यवस्था पंचायत एवं ग्रामसभा की निगरानी में संचालित होगी। गांव स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली आम लोगों के लिए सस्ती दर पर अनाज एवं अन्य जरूरी वस्तुओं को उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था है। जिससे गांव के जरूरतमंद लोगों को बिना किसी दिक्कत के सस्ती कीमत पर अनाज, शक्कर एवं घासलेट आदि मिल सके। इस पुस्तिका में राशन की दुकान के बारे में सरपंच एवं पंच तथा गांव के लोगों के लिए बुनियादी जानकारी को सरल भाषा में दिया गया है।

उम्मीद है कि इस पुस्तिका से पंचायत एवं गांव स्तर पर राशन की दुकान को सही ढंग से संचालित करने हेतु बुनियादी जानकारी गांव के लोगों को मिल सकेगी। इस संबंध में आपके विचार व सुझाव हमारे लिए अमूल्य होंगे।

इस पुस्तक को तैयार करने में खाद्य निरीक्षक खातेगांव का सहयोग मिला।

लेखन / सम्पादन टीम
समावेश भोपाल

नवम्बर 2007

12111
D9-110 P06

कहां, क्या............

सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?

लोगों को बाजार से कम कीमत पर अनाज, शक्कर व घासलेट उपलब्ध कराने के लिए गांवों एवं नगरों में सरकारी उचित मूल्य की दुकानें खोली गईं हैं। जिन्हें हम राशन की दुकान कहते हैं। राशन की दुकानों से उचित मूल्य पर लोगों को खाद्यान्न देने की व्यवस्था को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा, नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा, नगर पंचायत क्षेत्र में नगर पंचायत द्वारा और नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के नागरिकों को राशनकार्ड बनाकर दिए जाते हैं। जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में कूपन भी कहते हैं। राशन यानी कंट्रोल की दुकान से तभी सामान खरीद सकते हैं, जब हमारे पास राशन कार्ड हो। इसलिए हमारे गांव या पंचायत के हर परिवार के पास अपना एक राशन कार्ड होना जरूरी है।

राशन कार्ड कैसे बनवाया जा सकता है?

किसी गांव या नगर में स्थाई रूप से निवास करने वाला व्यक्ति/परिवार उस गांव/नगर में अपना राशनकार्ड बनवा सकता है। राशनकार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित काम करने होते हैं।

1. नया राशनकार्ड बनवाने के लिए एक आवेदन देना पड़ता है। जिसे "घोषणा पत्र सह आवेदन पत्र – प्रपत्र "क" कहा जाता है। इसमें अपने परिवार से संबंधित जानकारी भरी जाती है। यह फार्म किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल सकता है, जिसे खरीद कर आप भर सकते हैं और संबंधित कार्यालय में दे सकते हैं।
2. ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग अपनी ग्राम पंचायत के कार्यालय में पंचायत सचिव के पास राशनकार्ड बनाने के लिए आवेदन दे सकते हैं।

3. शहरी क्षेत्र मे निवास करने वाले लोग, अपने से संबंधित नगर पंचायत, नगर पालिका, या नगर निगम के कार्यालय में राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन दे सकते हैं।

4. राशनकार्ड के आवेदन के साथ परिवार के मुखिया को अपने पासपोर्ट साइज के दो फोटो भी देने होंगे। फोटो की एक प्रति घोषणा पत्र पर चिपकाई जाएगी और दूसरी फोटो के पीछे मुखिया द्वारा अपना पूरा नाम, पता और पुराने राशनकार्ड का नंबर लिखा जाएगा। इस फोटो को भी घोषणा पत्र के साथ पिन से लगाया जाएगा यही फोटो नए राशनकार्ड पर चिपकाई जाएगी।

5. आवेदन देने के बाद कार्यालय/सचिव/अधिकारी से आवेदन प्राप्ति की रसीद (पावती) जरूर लें। इस रसीद के आधार पर ही राशनकार्ड प्राप्त होगा।

6. आवेदन प्राप्ति के बाद संबंधित कार्यालय द्वारा कुछ सामान्य जांच कराई जाएगी। इस जांच में आवेदक के निवास स्थान की पुष्टि की जाएगी। इसके लिए वोटर लिस्ट में नाम भी देखा जा सकता है। इसके बाद परिवार में सदस्य संख्या की पुष्टि की जाएगी, बच्चों के घर पर मौजूद न रहने की स्थिति में उनके स्कूल के प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र को भी दिखाया जा सकता है। वोटर लिस्ट में नाम न होने पर भी यदि परिवार का निवास स्थल प्रमाणित हो जाता है तो उस परिवार को राशनकार्ड दिया जाएगा। इस प्रकार वोटर लिस्ट इसमें सिर्फ सहायक के रूप में काम करेगी।

7. शासकीय/अर्धशासकीय, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए आवश्यक होगा कि वे कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी निवास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। स्थानांतरण पर आए कर्मचारी पूर्व स्थान पर जमा किए गए राशनकार्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अन्य व्यक्तियों के लिए स्थानान्तरण की स्थिति में पूर्व स्थान पर जमा किए गए राशनकार्ड का प्रमाण पत्र तथा निवास के प्रमाण स्वरूप संपत्ति कर की रसीद/ बिजली या पानी का बिल/ वाहन चालन लायसेंस/ मकान किराए की रसीद आदि प्रस्तुत की जा सकती है।

8. नया राशन कार्ड देने के लिए उसकी लागत कीमत ली जाती है। यह राशि देते समय उसकी रसीद जरूरी प्राप्त कर लें।

9. किसी भी पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा किसी भी व्यक्ति का राशनकार्ड इसलिए नहीं रोका जा सकता कि उसने टैक्स जमा नहीं करवाया। राशनकार्ड प्राप्त करना उस व्यक्ति या परिवार का अधिकार है, यदि वह वहां का निवासी है और राशनकार्ड पाने की पात्रता रखता है तो उसे राशनकार्ड देना अनिवार्य है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है?

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मतलब है गरीबों को सस्ते दामों पर अनाज देने की खास प्रणाली। यह 1 जून 1997 से हमारे प्रदेश में शुरूआत की गई है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों की पहचान की गई है। इन परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (बी.पी.एल.) कहा जाता है। शासन द्वारा इन परिवारों को नीले रंग के राशन कार्ड दिए गए हैं। जिन परिवारों के पास नीले रंग के राशन कार्ड हैं उनको खाद्यान्न, केरोसिन एवं अन्य सामग्री सामान्य से कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है।

नीला राशन कार्ड कैसे प्राप्त करें ?

जिन परिवारों के नाम गरीबी रेखा सूची में हैं वे इस राशन कार्ड को प्राप्त करने के लिए खाद्य विभाग के प्राधिकृत अधिकारी (खाद्य निरीक्षक) को अपना आवेदन दे सकते हैं। इस आवेदन मे उन्हें अपना बी.पी.एल क्रमांक, और परिवार के सदस्यों का विवरण भी देना होगा। विभाग द्वारा कुछ आवश्यक जांच करने के बाद उस परिवार को नया राशन कार्ड प्राप्त हो जाएगा। इस राशन कार्ड से शासन द्वारा तय की गई कम कीमत पर खाद्यान्न और केरासिन प्राप्त किया जा सकता है।

राशन कार्ड क्यों जरूरी है?

1. राशन कार्ड हमारे इस गांव या शहर में निवास करने का पहला सबूत है। इसके द्वारा हमारी नागरिकता की पहचान होती है। इसके माध्यम से हमें सरकारी स्कीम में आए खाद्यान्न, केरोसिन, एवं अन्य जरूरी सामान की प्राप्ति उचित मूल्य की दुकान से होती है।

2. राशन कार्ड राज्य सरकार की संपत्ति है लेकिन जिस व्यक्ति के लिए यह जारी किया गया है वही इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

3. राशन कार्ड जिस व्यक्ति के लिए जारी किया गया है वह व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य ही इसका उपयोग कर सकता है। अन्य किसी वैधानिक उपयोग के लिए नहीं है।

4. राशन कार्ड किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

5. यदि किसी परिवार का परिवार कार्ड खराब हो जाता है, गुम हो जाता है, या नष्ट हो जाता है तो इस संबंध में संबंधित कार्यालय में इसकी सूचना देकर नया राशनकार्ड बनाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है।

6. गुम हुए राशनकार्ड के स्थान पर जब नया कार्ड प्राप्त हो जाए तब यदि बाद में गुम हुआ राशनकार्ड मिल भी जाए तो जिस कार्यालय/अधिकारी से नया राशनकार्ड प्राप्त हुआ है उसके पास पुराना राशनकार्ड तुरंत जमा कराना कार्ड धारक की जिम्मेदारी है।

7. जिस उचित मूल्य की दुकान पर परिवार कार्ड का रजिस्ट्रेशन किया गया है उसी दुकान से परिवार का कोई भी सदस्य परिवार कार्ड प्रस्तुत करके सरकारी स्कीम के अनुसार खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकता है।

उचित मूल्य की दुकान से क्या-क्या सामान मिलता है? और कितना मिलता है?

हर राशन कार्ड पर माह में 35 किलो खाद्यान्न दिए जाने का तय किया गया है। यह खाद्यान्न भारत सरकार के तय किए अनुसार अच्छी गुणवत्ता का होगा।

शक्कर – जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। या जिन उपभोक्ताओं के पास नीले या पीले रंग के राशनकार्ड हैं। उन उपभोक्ताओं को ही सरकारी उचित मूल्य की दुकान से शक्कर प्राप्त हो सकती है। एक व्यक्ति पर 500 ग्राम से 1000 ग्राम तक शक्कर मिलेगी।

केरोसिन – बी.पी.एल. (नीला राशन कार्ड), अन्त्योदय अन्न योजना (पीला राशन कार्ड), एवं ए.पी.एल. (सामान्य राशन कार्ड) सभी तरह के राशनकार्ड धारियों को ग्रामीण क्षेत्र में एक राशन कार्ड पर 3 लीटर केरोसिन मिलेगा। नगरी क्षेत्र में एक राशन कार्ड पर 5 लीटर केरोसिन मिलेगा।

उचित मूल्य की दुकान से राशन किस भाव पर मिलता है

बी.पी.एल (नीला राशन कार्ड) वाले उपभोक्ताओं को निम्न लिखित मूल्य पर सामान मिलता है।

- गेहूं – 5.00 रूपये प्रति किलो
- चावल – 6.50 रूपये प्रति किलो
- शक्कर – 13.50 रूपये प्रति किलो
- केरोसिन – 8.60 से 9.20 रूपये प्रति लीटर

(वितरण डिपो से राशन की दुकान की दूरी के अनुसार यह राशि तय की जाती है जो कि उपरोक्त मूल्य से अधिक नहीं होगी)

अंत्योदय अन्न योजना (पीला राशन कार्ड)
वाले लोगों को सस्ते दामों पर गेहूं व चावल दिया जाता है।
एक राशन कार्ड पर .... किलो गेहूं
या ....किलो चावल दिया जाता है।

- गेहूं – 2 रूपये प्रति किलो
- चावल – 3 रूपये प्रति किलो
- केरोसिन – 8.60 से 9.20 रूपये प्रति लीटर
  (वितरण डिपो से राशन की दुकान की दूरी के अनुसार यह राशि तय की जाती है जो कि उपरोक्त मूल्य से अधिक नहीं होगी)
  ए.पी.एल (सामान्य राशन कार्ड) वाले उपभोक्ताओं को निम्न लिखित मूल्य पर सामान मिलता है।
- गेहूं – 7.00 रूपये प्रति किलो
- चावल – 9.20 रूपये प्रति किलो
- केरोसिन – 8.60 से 9.20 रूपये प्रति लीटर
  (वितरण डिपो से राशन की दुकान की दूरी के अनुसार यह राशि तय की जाती है जो कि उपरोक्त मूल्य से अधिक नहीं होगी)

एक बार में सारा राशन खरीदना जरूरी नहीं

यदि कोई व्यक्ति एक साथ अपना सारा राशन खरीदने में सक्षम नहीं है। तो वह अपनी सुविधा के अनुसार महीने में अधिकतम चार किश्तों में राशन खरीद सकता है।

जैसे –फूलसिंह के परिवार को अपने राशन कार्ड पर एक माह में 35 किलो खाद्यान्न मिलता है। और वह एक साथ इतना नहीं खरीद सकता या खरीदना नहीं चाहता तो वह अपनी सुविधा के अनुसार 10–10 किलो या 5 किलो खाद्यान्न भी एक बार में ले सकता है और बाकी का खाद्यान्न महीने में फिर कभी ले सकता है। इस प्रकार वह महीने में ज्यादा से ज्यादा चार बार खाद्यान्न खरीद सकता है।

उचित मूल्य की दुकान कहां खुल सकती है?

जिले में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या और उनकी स्थिति कलेक्टर द्वारा निर्धारित एवं तय की जाती है। इस संबंध में कलेक्टर निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखते हैं।

1. नगरीय क्षेत्र में 5000 की जनसंख्या वाले प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक दुकान निर्धारित की जाएगी, नगरीय क्षेत्र में दुकान ऐसे स्थान पर निर्धारित की जाएगी जो उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक हो।
2. ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पटवारी हल्के को इकाई मानकर दुकान स्थापित की जाएगी, परंतु ऐसी दुकान उपभोक्ताओं से 3 किलोमीटर दूर होने पर नई दुकान भी स्थापित की जा सकती है।
3. जहां तक संभव हो सके दुकान को ऐसे स्थान पर खोली जाती है, जो उस क्षेत्र के मध्य मे हो जिससे कि उस क्षेत्र के निवासियों को खाद्य पदार्थों की पूर्ति आसानी से हो सके।
4. दुकानों की संख्या तथा स्थिति इस तरीके से निधारित की जाएगी कि किसी भी उपभोक्ता को तीन किलोमीटर से अधिक दूर नहीं चलना पड़े।

उचित मूल्य की दुकान के खुलने और बंद होने का समय क्या है

दुकान के खुलने और बंद होने का समय कलेक्टर द्वारा तय किया जाता है। हर दुकान दिन में कम से कम आठ घंटे खुली रहेगी। स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए दुकान सुबह और शाम दोनों समय खोली जा सकती है।

उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न कैसे, कहां से आता है

भारत सरकार से आवंटित खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री प्राप्त होने के बाद, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण म.प्र. के संचालक द्वारा खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के स्टाक को जिलेवार आवंटित किया जाता है। जिले में जिला कलेक्टर इस सामग्री को तहसीलवार आवंटित करते हैं। इसके बाद सामान्य एवं बी.पी.एल. (नीले, पीले) राशनकार्डों की संख्या के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस खाद्यान्न को प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान के लिए आवंटित किया जाता है। इस आवंटन के प्राप्त होने की सूचना नगरों व कस्बों में स्थानीय स्वशासन निकायों को, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को, इसके साथ ही संबंधित विधायक/सांसद को दी जाती है।

भारतीय खाद्य निगम, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, लीड एंड लिंक कॉपरेटिव सोसायटीज के द्वारा खाद्यान्न विभिन्न स्तरों तक पहुंचाया जाता हैं

खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को दिया जाता है। यहां से खाद्यान्न लीड एंड लिंक सहकारी समितियों तक पहुंचाया जाता है और सहकारी समितियों से यह खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचता है। इसी तरह इंडियन

ऑयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, इंडोवर्मा पेट्रोलियम कंपनी और असम आयल कंपनी आदि तेल कंपनियां उनके थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता केरोसीन के वितरण में भागीदारी करते हैं। वितरण के लिए शक्कर की आपूर्ति शक्कर मीलों द्वारा की जाती है।

उपरोक्त सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसके यातायात का रूट चार्ट मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम एवं प्रमुख सहकारी संस्थाओं द्वारा तय किया जाता है।

राशन की दुकान (उचित मूल्य की दुकान) में खाद्यान्न आ जाने पर दुकानदार द्वारा निगरानी समिति (विजलेंस कमेटी) एवं आम जनता को सूचना दी जाती है। इसके बाद लोग खाद्यान्न, केरोसिन एवं अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। उपभोक्ता प्राप्त होने वाली खाद्यान्न समाग्री को अपनी सुविधा के अनुसार महीने में अधिकतम चार बार तक खरीद सकता है।

उचित मूल्य की दुकान चलाने वाली समिति /व्यक्ति खाद्य पदार्थों को उन एजेंसियों से प्राप्त करता है।

खाद्यान्न वितरण कैसे किया जाता है?

1. दुकान चलाने वाली समिति/व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि वह महीने के पहले सप्ताह में ही पूरे महीने के लिए आवंटित संपूर्ण खाद्य पदार्थों को प्राप्त कर दुकान पर उपलब्ध रखे।
2. खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के बाद ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित दुकान का दुकानदार उसके द्वारा प्राप्त किए गए खाद्य पदार्थों की मात्रा का विवरण दुकान के लिए नियुक्त निगरानी समिति को लिखित में देगा तथा ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा।
3. राज्य सरकार या कलेक्टर द्वारा समय–समय पर निर्धारित की गई मात्रा के अनुसार खाद्य पदार्थों का विक्रय उन उपभोक्ताओं को करेगा जिनका राशनकार्ड उनकी दुकान में पंजीकृत है।
4. उपभोक्ताओं को दी गई खाद्य पदार्थों की मात्रा राशन कार्ड में दर्ज की जाएगी। इन कार्डों पर सभी आवश्यक प्रविष्टियां करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी।
5. राशनकार्ड या परमिट के बिना उचित मूल्य की दुकानों के दुकानदार द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय नहीं किया जाएगा।
6. दुकान के सामने महिला तथा पुरूष खरीददारों की अलग–अलग लाइन बनाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।

उचित मूल्य की दुकान पर लगाए जाने वाले बोर्ड कौन–कौन से होते हैं? इन पर क्या जानकारी लिखी जाती है?

उचित मूल्य की दुकानों के दुकानदारों को हिन्दी में लिखे हुए दो बोर्ड अपनी दुकान पर लगाने होंगे। ये बोर्ड लकड़ी के फ्रेम पर जड़ी टीन की मोटी चद्दर के होंगे।

- पहले बोर्ड का शीर्षक सरकारी उचित मूल्य की दुकान होगा और

यह 150 सेंटीमीटर लम्बा और 75 सेंटीमीटर चौड़ा होगा, यह बोर्ड पीले रंग का होगा और इस पर काले रंग से लिखा जाएगा। इस सूचना पटल पर निम्नानुसार विवरण नीचे बताए आकार में लिखे जाएंगे।

150 से.मी. लंबाई X 75 से.मी. चौड़ाई

मध्य प्रदेश शासन (6.25 से.मी.)

सरकारी उचित मूल्य की दुकान (15 से.मी.)

क्रमांक.................... एजेंट .... (5सें.मी.)

समय .... पता............... (3.5 से.मी.)

यह बोर्ड दुकान के ठीक ऊपर ऐसे स्थान पर लगाया जाएगा जहां से यह हमेशा आसानी से दिखाई दे।

दूसरा बोर्ड काले रंग का होगा और इस पर सफेद रंग से लिखा जाएगा। यह बोर्ड 120 सेंटीमीटर लंबा और 90 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। इस बोर्ड पर दुकान में मौजूद हर खाद्य सामग्री का स्टाक और मूल्य का विवरण प्रतिदिन लिखा जाएगा। इस बोर्ड को दुकान में ऐसे स्थान पर लगाया जाएगा जहां से यह आसानी से ग्राहकों को दिख जाए और इस पर लिखा विवरण सरलता से पढ़ा जा सके।

उचित मूल्य की दुकान में कौन-कौन से रजिस्टर और फाइलें होते है

प्रत्येक दुकान पर चालू वित्तीय वर्ष में खाद्य पदार्थों की प्राप्ति, वितरण तथा विक्रय की जानकारी, उचित लेखे, समर्थन वाउचर और अन्य जरूरी कागजात रखे जाते हैं। इन लेखों पर प्रतिदिन का प्राप्ति और वितरण का विवरण लिखा जाता है। यानी जिस तारीख को

DH-110 P06

12111

खाद्यान्न वितरण किया गया उसी तारीख को लेखा पूर्ण किया जाना जरूरी है। दुकान में विशेष रूप से निम्नलिखित रजिस्टर व फाइलें रखी जाती हैं।

1. शिकायत पुस्तक
2. हिदायत पुस्तक (निरीक्षण अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली सामान्य हिदायतों के लिए)
3. राशनकार्ड रजिस्टर
4. निगम, एजेंसियों से प्राप्त गोदाम बिलों की फाइल
5. मांगपत्रों की प्रतियों की फाइल
6. स्टाक रजिस्टर
7. कैशमेमो बुक
8. दैनिक बिक्री रजिस्टर
9. कैश बुक
10. खाता (लेजर)

दुकानदार की अन्य जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं?

1. संबंधित आबंटित उचित मूल्य की दुकान तय स्थान पर ही खोलेगा। वह अपनी मर्जी से दुकान का स्थान नहीं बदल सकता है। राशन दुकान का स्थान कलेक्टर द्वारा तय किया जाता है।
2. खाद्य पदाथों में किसी भी तरह की मिलावट नहीं कर सकता।
3. जिसके पास राशनकार्ड नहीं हो, उसे सामान नहीं बेचेगा।
4. ऐसे किसी राशनकार्ड पर खाद्य पदार्थ नहीं देगा– जो राशनकार्ड रद्द कर दिया गया हो, जो राशन कार्ड किसी कारण से अवैध हो, जिस राशनकार्ड पर कलेक्टर ने खरीद नहीं करने वाला आदेश जारी किया हो।

5. दुकानदार किसी कार्डधारी को बेचे गए खाद्य पदार्थों को अपने पास नहीं रखेगा।
6. दुकानदार किसी भी व्यक्ति के राशनकार्ड को अपने पास नहीं रखेगा।
7. शासन द्वारा गठित निगरानी समिति के सदस्यों से माल प्राप्ति एवं वितरण का प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
8. वह उसी क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी किस्म के या समान किस्म के किसी भी खाद्य पदार्थ की खरीद, वितरण या बिक्री नहीं कर सकता है।

सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों की जांच कौन-कौन कर सकता है?

राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति/समिति –

- किसी खाद्य पदार्थ की बिकी, वितरण या भण्डारण के लिए उपयोग किए गए परिसर में प्रवेश कर सकता है और वहां के किसी भी खाद्य पदार्थ की जांच कर सकता है।
- किसी खाद्य पदार्थ, केरोसिन आदि सामग्री की खरीदी, बिक्री, वितरण या भण्डारण से संबंधित हिसाब–किताब, दस्तावेज, रजिस्टर, या पुस्तकों की जांच कर सकता है।
- खाद्य पदार्थ की बिक्री या वितरण से संबंधित तौल–माप की सत्यता की जांच कर सकता है या जांच करा सकता है

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी होने पर क्या होगा?

- यदि किसी उचित मूल्य की दुकान पर अनियमितता होती है तो जांच होने के बाद आरोप सिद्ध हो जाने पर उस दुकानदार का लायसेंस रद्द किया जा सकता है और उसके द्वारा जमा की गई जमानत की राशि जब्त की जा सकती है। (मध्यप्रदेश फूड स्टफ सार्वजनिक नागरिक पूर्ति स्कीम 1991)
- प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान का दो माह में कम से कम एक बार निरीक्षण करना विभागीय अधिकारियों एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है। यानी फूड इंस्पैक्टर, फूड ऑफिसर व एसडीएम, तहसीलदार आदि के द्वारा इन दुकानों का समय–समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए।

विक्रेता द्वारा प्रणाली में गड़बड़ी करने पर

जो दुकानदार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के अनुसार संबंधित लोगों को सामग्री वितरण करने के वजाय अन्य लोगों को बेचेगा और उसके वितरण का झूठा रिकार्ड रखेगा। उसे तीन साल तक के जेल या जुर्माना किया जायेगा । (म.प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1982 की धारा 33 व 34 के अनुसार)

दुकानदार के द्वारा गड़बड़ी करने पर उसकी जांच करने वाले अधिकारी यदि कोई जानकारी छुपाते है लीपापोती करते है और दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नही करते तो उन्हें भी जेल या जुर्माना किया जायेगा । दण्डित किया जाएगा – धारा 34

निगरानी समिति और जनभागीदारी

उचित मूल्य की दुकान के कामकाज को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ब्लाक और दुकान स्तर पर निगरानी का गठन किया जाता है। इस समिति में निम्न लिखित लोग होंगेः–

हर दुकान के स्तर पर गठित समिति

इस समिति में निम्न लिखित लोग होंगे:–

1. सरपंच (समिति के अध्यक्ष होंगे)।
2. संबंधित सहकारी समिति का एक सदस्य।
3. हितग्राहियों में से तीन सदस्य (एपीएल, बीपीएल एवं अन्त्योदय)।
4. नेहरू युवक केन्द्र के प्रतिनिधि।
5. स्वयं सहायता समूहों (महिला) के प्रतिनिधि।
6. वरिष्ठ शिक्षक।
7. पंचायत सचिव।

निगरानी समिति का अध्यक्ष राशन की दुकान का कभी भी निरीक्षण कर सकता है कि वहां कितना सामान उपलब्ध है और कितना सामान बेचा गया है। जब भी राशन की दुकान में सामान आता है, उसे अध्यक्ष या किसी भी सदस्य से सत्यापित करवाया जाता है। अध्यक्ष चाहे तो उसी समय सामान देख सकता है। समिति सदस्य राशन की दुकान से संबंधित रिकार्ड देख सकते हैं।

विकास खंड (ब्लाक स्तर) पर निगरानी समिति इस समिति में निम्नलिखित लोग होंगे:–

1. जनपद पंचायत अध्यक्ष (समिति के अध्यक्ष होंगे)।
2. कॉर्डिनेटर नेहरू युवा केन्द्र।
3. मुख्य नगर पालिका या नगर पंचायत अधिकारी।
4. उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े दो प्रतिनिधि। (इनमें कम से कम एक महिला होना जरूरी है)
5. सहायक आपूर्ति अधिकारी / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी।
6. विकास खंड शिक्षा अधिकारी।
7. सहकारी संस्था के प्रतिनिधि।
8. कृषि उपज मंडी के प्रतिनिधि।
9. स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि (कलेक्टर की स्वीकृति से)।
10. अनुविभागीय अधिकारी– राजस्व।

जिला स्तर पर निगरानी समिति जिला स्तर की निगरानी समिति के प्रमुख जिला कलेक्टर होंगे। राज्य स्तर की समिति इस कमेटी की प्रमुख खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री होते है। इनके साथ उच्च स्तर के अधिकारी शामिल रहते हैं और साथ ही राज्य शासन द्वारा नामित दो सदस्य होते हैं।

राशन की दुकान में गड़बड़ी होने पर आप इन्हें शिकायत कर सकते हैं:-

1. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एस.डी.एम)
2. जिला खाद्य अधिकारी।
3. जिला कलेक्टर

जानकारी मांगने का अधिकार

सूचना के अधिकार के तहत प्रत्येक नागरिक को राशन की दुकान से सभी तरह की जानकारी मांगने का अधिकार है, जैसे कितना सामान प्राप्त हुआ?कितना बेचा गया?कितना स्टाक शेष है? किन्हें सामान बेचा गया, आदि। यह जानकारी मांगने के लिए आपको एक आवेदन देना होगा, जिसमें जो जानकारी चाहिए उसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखें। यह

आवेदन पंचायत, तहसीलदार, खाद्य अधिकारी या अनुविभागीय अधिकारी को दे सकते हैं। आपके द्वारा आवेदन देने के 30 दिनों के भीतर वे आपको जानकारी देंगे। इसके लिए 10 रू. शुल्क आवेदनकर्ता को देना होगा, पर गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा।

यह किताब किसके लिए है

- यदि आप पंचायत प्रतिनिधि हैं
- यदि आप राशन की दुकान की निगरानी समिति के सदस्य, अध्यक्ष हैं
- यदि आप गांव में रहते/रहती हैं
- यदि आप स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं

यह पुस्तक आपको कैसी लगी

पुस्तक के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें लिखें तो इस किताब को आगे और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। राशन की दुकान से संबंधित जो भी अनुभव एवं सुझाव आपके हैं, हमें जरूर लिख भेजें।

सम्पर्क पता :

समावेश

ई-1/138, अरेरा कालोनी, भोपाल फोन - 0755 - 2467552
फैक्स - 0755 - 4276468 E-mail - samaveshmp@rediffmail.co

यू. एन. डी. पी. नई दिल्ली के सहयोग से
सखी पहल कार्यक्रम के लिए समावेश द्वारा प्रकाशित